न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

ासीन अधिकारीः— अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0न0
3/2024

ता0रजू
26.03.2024

निर्णय दिनांक
26/3/2025

. काडू पुत्र कैलाश जाति मीना निवासी रांवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर
. ऋषिकेश पुत्र झण्डू
. कैलाशी पत्नी झण्डू
. तेजराम पुत्र धनपाल
. देशराज पुत्र झण्डू
. बुद्विराम पुत्र झण्डू
. रतनलाल पुत्र हीरा
. रामजीलाल पुत्र धनपाल
. रामभरोस पुत्र झण्डू
0 रामस्वरूप पुत्र धनपाल
1 विजेंद्र पुत्र झण्डू
2 सुरेश चंद पुत्र झण्डू
3 संकोर पुत्री जनको समस्त जातियान मीना निवासी उनियाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4 कमलेश पुत्र कैलाश
5 गोरीबाई पुत्र कैलाश
6 चोथमल पुत्र कैलाश
7 लल्लीबाई पुत्री कैलाश
8 सीताराम पुत्र हरनारायण जातियान मीना निवासीयान रांवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0

स्थितः—

. श्री राधेश्याम वैष्णव एड0 प्रार्थी की और से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

:— निर्णय —:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत ा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि

Scanned with OKEN Scanner

वाके ग्राम रॉवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर व अप्रार्थीनं० 2
यत 13 वाके ग्राम उलियाना एवम् अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 18 ग्राम
। तहसील व जिला सवाई माधोपुर के स्थायी निवासी है तथा मजदूरी
एवम् काश्तकार पेशा व्यक्ति है एवम् अप्रार्थी नं० 1 भूमिधारी होने की
से पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 18 की
दारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नं0 1348 रकबा 0.07 है0
ग्राम रॉवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है यह भूमि प्रार्थी
खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है तथा यह राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी
3 से 2076 के खाता संख्या 66 वाके ग्राम रॉवल पर दर्ज रिकॉर्ड हैं।
र्थी नं० 1 की खाते की भूमि खसरा नं0 1337 रकबा 0.72 है0 किस्म
नी 1 वाके ग्राम रॉवल में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के खाता
या 1 पर दर्ज रिकॉर्ड हैं तथा अप्रार्थी नं० 2 लगायत 12 की खातेदारी
काश्त की भूमि आराजी वाके ग्राम उलियाना तहसील व जिला सवाई
पुर में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के खसरा नं0 72 रकबा
है0 सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 413 पर दर्ज रिकॉर्ड है।
ाजी खसरा न० ख0नं0 73 रकबा 0.57 है० एवम् खसरा नं0 75 रकबा 0.
है0 भूमि अप्रार्थी नं0 13 संकोर पुत्री जनको की खातेदारी कब्जे काश्त
भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 346 सम्वत् 2075
2078 में दर्ज रिकॉर्ड हें । प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि स्थित
रॉवल खसरा नं0 1348 पर आने जाने हेतु कृषि संसाधनों को लाने ले
हेतु 30 फुट चौडे रास्ते की सख्त आवश्यकता है जिससे की प्रार्थी अपने
तेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर कृषि कार्य कर कृषि उत्पादों को अपने
ले जा सकें। आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो सकें। आराजी खसरा
1348 के उत्तरी पूर्वी दिशा में खसरा नं0 1337 स्थित है यह भूमि
कीय सिवायचक भूमि है जो कि खसरा नं0 1348 के पूर्वी कौने से लगती
हैं। इस कारण भूमिधारी तहसीलदार को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया
हैं। ग्राम रॉवल के समीप ही ग्राम उलियाना की सीमा है। ग्राम उलियाना
खसरा नं0 72, 73, व 75 अप्रार्थी नं० 2 लगायत 13 के नाम खातेदारी
जे काश्त की भूमि स्थित है तथा आराजी खसरा नं0 77 के पूर्वी दिशा में
राजी खसरा नं0 72, 73 में होकर खसरा नं0 75 के द्वारा उक्त राजकीय
ख0न0 1337 में पहुँच कर वह आसानी से खसरा नं0 1348 जो प्रार्थी
भूमि है में पहुँचा जा सकता है। उक्त रास्ता प्रार्थी की खातेदारी कब्जे
श्त की भूमि खसरा नं0 1348 में पहुँचने हेतु सबसे संक्षिप्त रास्ता हैं।
क अप्रार्थीगण 2 लगायत 13 की भूमि में होकर प्रा... खेतों पर सदैव
ता जाता रहा है। तहसीलदार सवाई माधोपुर ... द्वारा
हे गये सबसे कम दूरी के रास्ते की ... रिपोर्ट तहसीलदार
ोदय, सवाई माधोपुर से श्रीमान् जी के न्यायालय ... तलब की जावेगी
लिये तहसीलदार, सवाई माधोपुर भूमिधारी होने की वजह से उक्त प्रार्थना
में पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर चाहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:30:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रास्ते का नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया है जो प्रार्थना पत्र के संलग्न हैं । उक्त प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में अप्रार्थीगण 2 लगायत ी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि की ऐवज मे प्रार्थी नियमानुसार उनको देने के लिये तैयार हैं। तथा अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 18 खसरा नं0 ; के सहखातेदार होने की वजह से इसलिये इन्हें अप्रार्थी संख्या 14 यत 18 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। विवादित भूमि माननीय ालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र की सुनवाई क्षेत्राधिकार श्रीमान् जी के न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र निश्चित ाशुल्क पर प्रस्तुत हैं। बकिया उजात वरवक्त बहस जुवानी अर्ज किये गें । अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0 : मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार सवाई माधोपुर से ; को एवम् राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जाकर विक रिपोर्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी ो काश्त की भूमि खसरा नं0 1348 वाके ग्राम रॉवल पर पहुँचने हेतु बिक नजरी नक्शा 30 फुट चौडा अप्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की ाजी खसरा नं0 72, 73, 75 में होते हुये खसरा नं0 1337 में होकर रास्ता ाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें तथा मुताविक पारित आदेश राजस्व रिकॉर्ड में गै०मु०रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, ाई माधोपुर को फरमाये जाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये टिस तलबी की गयी बाबजूद तामिल अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने के कारण पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार ाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी वत 2073–76 ग्राम रांवल खाता संख्या 66 खसरा नंबर 1348 रकबा 0.07 किस्म चाही 3 सीताराम पुत्र हरनारायण हि0 1/2 काडू चौथमल कमलेश । कैलाश हि0 3/10 गौरीबाई लल्लीबाई पुत्रियां कैलाश हि 1/5 जाति ना सा0 देह खातेदार राहिन बदस्तूर जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी हखातेदार दर्ज है जो मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। वर्तमान में प्रार्थी के सरा नंबर 1348 पर जान हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। र्थी अस्थायी रूप से अपनी खातेदारी भूमि पर आता जाता है। प्रार्थी के त खसरा नंबर 3148 के सबसे निकट रास्ता खसरा नंबर 1270 किस्म 0मु0 चारागाह से निकलता है। प्रार्थी को खसरा नंबर 1270 किस्म गै0मु0 ारागाह से आसानी रहती है किंतु किस्म चारागाह ... रिकार्ड है। वादी ो अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1348 ... रास्ता र्ज किया जाना उचित होगा। वादी को वांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य ोई सुविधाजनक विकल्प नहीं है। बिंदु संख्या 8 ... अपेक्षित नहीं है। स्तावित रास्ते में ग्राम रांवल के खसरा नंबर 1337 रकबा 0.72 है0 में से 0 फीट चौडाई में कुल 2742 वर्ग मी0 भूमि रास्ते हेतु व ग्राम उलियाना के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रा नंबर 72 रकबा 0.35 है0 में से 8X60 = 480 वर्ग मी0 खसरा नंबर 73 ा 0.57 है0 में से 8X40 = 320 वर्ग मी0 व खसरा नंबर 75 रकबा 0.10 है0 में ३X60 = 480 वर्ग मी0 कुल 1280 वर्ग मी0 भूमि रास्ते हेतु दिये जाने पर वादी ने खसरा नंबर 1348 तक पहुंच सकता हैं। खसरा नंबर 1348 किस्म बा. में मौके बरसाती नाला बना हुआ है।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस सूनी तथा वकील प्रार्थी ने अपने र्थना पत्र के अनुसार बहस में बताया है कि प्रार्थी अपनी कब्जा काश्त तेदारी भूमि 1348 रकबा 0.07 हैक्0 ग्राम रांवल तहसील व जिला सवाई ोपुर में स्थित है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1337 बा 0.72 हैक्0 राजस्व ग्राम रांवल एवं प्रार्थी संख्या 2 लगायत 12 की तेदारी भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 0.35 हैक्0 अप्रार्थी संख्या 13 की तेदारी भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 0.57 हैक्0 एवं खसरा नम्बर 75 रकबा 0 हैक्0 भूमि राजस्व ग्राम उलियाना में स्थित है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1337 उत्तरी पूर्वी दिशा एवं खसरा नम्बर 72, 73 व 75 के पूर्वी दिशा के सहारे रे आने जाने के लिए कृषि उपयोग तथा कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि लाने ले ने एवं आवागमन करते हुऐ आ रहे है। परन्तु अप्रार्थीगण अब वहॉ से नही कलने देते है जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में जाने आने परेशानी हो रही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने कृपा करें।

पत्रावली में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी एवं उनका मनन या तथा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी नी कब्जा काश्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.07 हैक्0 ग्राम ल तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। अप्रार्थीगण की खातेदारी मे खसरा नम्बर 1337 रकबा 0.72 हैक्0 राजस्व ग्राम रांवल एवं प्रार्थी संख्या लगायत 12 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 0.35 हैक्0 अप्रार्थी ख्या 13 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 0.57 हैक्0 एवं खसरा बर 75 रकबा 0.10 हैक्0 भूमि राजस्व ग्राम उलियाना में स्थित है। प्रार्थी सरा नम्बर 1337 की उत्तरी पूर्वी दिशा एवं खसरा नम्बर 72, 73 व 75 के र्वी दिशा में होकर जाना चाहते है जिसका समर्थन तहसीलदार सवाई धोपुर की रिपोर्ट से होता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिर्पोट अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2073–76 ग्राम रांवल खाता ख्या 66 खसरा नंबर 1348 रकबा 0.07 है0 किस्म चाही 3 सीताराम पुत्र नारायण हि0 1/2 काडू चौथमल कमलेश पुत्र कैलाश ... गौरीबाई ल्लीबाई पुत्रियां कैलाश हि 1/5 जाति मीना ... खातेदार साहिन स्तूर जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ... मौके पर स्थित नहीं हुआ। वर्तमान में प्रार्थी के खसरा नंबर 1348 पर जान हेतु जस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी अस्थायी रूप से अपनी तेदारी भूमि पर आता जाता है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 3148 के सबसे कट रास्ता खसरा नंबर 1270 किस्म गै0मु0 चारागाह से निकलता है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ख्रसरा नंबर 1270 किस्म गै0मु0 चारागाह से आसानी रहती है किंतु चारागाह दर्ज रिकार्ड है। वादी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर पर जाने हेतु नियमानुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित होगा। वादी ांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधाजनक विकल्प नहीं है। बिंदु 8 व 9 अपेक्षित नहीं है। प्रस्तावित रास्ते में ग्राम रांवल के खसरा 1337 रकबा 0.72 है0 में से 30 फीट चौडाई में कुल 2742 वर्ग मी0 रास्ते हेतु व ग्राम उलियाना के खसरा नंबर 72 रकबा 0.35 है0 में से) = 480 वर्ग मी0 खसरा नंबर 73 रकबा 0.57 है0 में से 8X40 = 320 वर्ग मी0 सरा नंबर 75 रकबा 0.10 है0 में से 8X60 = 480 वर्ग मी0 कुल 1280 वर्ग मी0 रास्ते हेतु दिये जाने पर वादी अपने खसरा नंबर 1348 तक पहुंच सकता हैं। रा नंबर 1348 किस्म बा. में मौके पर बरसाती नाला बना हुआ है। तहसीलदार ई माधोपुर से प्राप्त फर्द मौका धारा 251 ए आरटीएक्ट में अंकित किया के प्रार्थी के पास साधन निकालने का अन्य कोई रास्ता नही है तथा अन्य पेड या खचार्ज नही है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 5 की धारा 251 (ए) का अवलोकन किया उक्त धारा के अनुसार " कोई धारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन विछाना चाहता है या कोई अभिधारी अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति उनकी जोतो तक चने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना हता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है र मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो एक अभिधारी या ास्थिति अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उप–खण्ड अधिकारी को वेदन कर सकेंगें उप–खण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका ाधान हो जाता है कि –(यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और ात केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की ात मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के वैकल्पिक ाधन का अभाव सिद्व किया गया है।)" आवेदन को अभिधारी जो उसे भूमि धारित करता है, दर्शित लाईन के सा–साथ भूमि की सतह से कम से म तीन फुट नीचे बिछाने एवं एक नया मार्ग तीस फुट से अधिक चौडा न बनाने एवं विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या ौडा करने के लिए अभिधारी को उसे उस भूमि का धारित करता है जिसमें होकर पाईपलाईन बिछाने या नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा रने का अधिकार मंजूर किया जाएगा, ऐसा मुआवजा जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जायें" प्रस्तावित रास्ते के संदर्भ में हसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट, फर्द मौका में भी प्रस्ताव किया है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

कलेक्टर
माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कियात्मक आदेश

प्रार्थी का 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना कार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है प्रार्थीगण अपनी कब्जा काश्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1348 रकबा 7 है0 ग्राम रांवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त ी तक जाने के लिए वाके ग्राम रांवल के खसरा नंबर 1337 रकबा 0.72 में से 30 फीट चौडाई में कुल 2742 वर्ग मी0 भूमि रास्ते हेतु व ग्राम ायाना के खसरा नंबर 72 रकबा 0.35 है0 में से 8X60 = 480 वर्ग मी0 ारा नंबर 73 रकबा 0.57 है0 में से 8X40 = 320 वर्ग मी0 व खसरा नंबर 75 रकबा 0 है0 में से 8X60 = 480 वर्ग मी0 कुल 1280 वर्ग मी0 रास्ता गै0मु0 रास्ता वाय चक बिना लगानी के नाम से दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी शें अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करें। सारणी अनुसार रास्ते मे आने ले ग्राम उलियाना की सिंचित भूमि की डी0एल0सी0दर 3500000 लाख ं ग्राम रॉवल की सिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 1573745 प्रति है0 । प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खाते मे जमा करानी होगी। खाते में जमा रवाकर अप्रार्थीगण के राजस्व नक्शे मे नजरी नक्शे अनुसार रास्ता कायम ्या जावें।

ख.नं.	रकबा	लम्बाईxचौडाई (मीटर मे)	वह क्षेत्रफल जिसमें रास्ता दर्ज होगा	डीएलसी दर रांवल 1573745 एवं उलियाना 1200000 का दुगनी राशि जो अप्रार्थीगणों के खाते में जमा होगी।	अप्रार्थीगण / खातेदारों का नाम जिसकों राशि खाते में जमा होगी।
			राजस्व ग्राम रांवल		
1337	0.72 है0	295.5 x 9.28 = 2742 m^2	0.2742	863041	राज्य सरकार (तहसीलदार सवाई माधोपुर)
			राजस्व ग्राम उलियाना		
72	0.35	60x8 = 480	0.0480	115200	1. ऋषिकेश पुत्र झण्डू 2. कैलाशी पत्नी झण्डू 3. तेजराम पुत्र धनपाल 4. देशराज पुत्र झण्डू 5. बुद्विराम पुत्र झण्डू 6. रतनलाल पुत्र हीरा 7. रामजीलाल पुत्र धनपाल 8. रामभरोस पुत्र झण्डू 9. रामस्वरूप पुत्र धनपाल 10. विजेंद पुत्र झण्डू 11. [illegible] चंद पुत्र झण्डू सगरत जातियान मीना निवासी उलियाना [illegible] सवाई [illegible]
73	0.57	40x 8 =320	0.0320	76800	[illegible]सकीर पुत्री जनको मीना निवासी [illegible]नियाना तहसील व जिला सवाई [illegible]धोपुर
75	0.10	60x8= 480	0.0480	115200	

कलेक्टर
[illegible]माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को ग्राम रांवल के खसरा नंबर 1337 रकबा 0.72 है0 में से 30 फीट चौडाई में कुल 2742 वर्ग मी0 भूमि रास्ते हेतु व ग्राम उलियाना के खसरा

Scanned with OKEN Scanner

72 रकबा 0.35 है0 में से 8X60 = 480 वर्ग मी0 खसरा नंबर 73 रकबा 0. है0 में से 8X40 = 320 वर्ग मी0 व खसरा नंबर 75 रकबा 0.10 है0 में से 8X60 30 वर्ग मी0 कुल 1280 वर्ग मी0 रास्ता अप्रार्थीगणो की खातेदारी भूमि में से डी0एल0सी0 दर का दुगना जमा होगा एवं प्रार्थीगण के आने जाने रास्ता कायम कर रास्ता सुचारू करवाया जावे। निर्णय के साथ संलग्न री नक्शे में लाल रंग से दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश सीलदार सवाई माधोपुर को दिये जाते है निर्णय की प्रति तहसीलदार ाई माधोपुर को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner